

11.7.22

पत्रावली पेश | वहीन उच्चपक्ष उपस्थित |
बहुम पट मन्त्र विद्या गया एवं पत्रावली
का अन्वेषण विद्या गया तो पाया
ज्याम है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
नहीं है। अतः प्रार्थना का
प्रार्थना पत्र अन्वेषण द्वारा चरणा
अस्वीकार विद्या जाता है। पूर्व से दिनांक

05.7.21 से जारी अंतरिम अध्याई

व्यापक खारिज विद्या जाता है। पत्रावली
का नए तरीके तर्जुमा होना प्रकृत
है। फल हो। निर्णय अन्वेषण से विद्या गया
ज्याम शामिल मिला विद्या गया।

(अभिमान)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना